<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>18.09.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17/9/2025 को बीकानेर, राजस्थान में मोहम्मद सादिक खान और उनके करीबी सहयोगियों से संबंधित 4 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और आर्म्स एक्ट, 1959 की धाराओं के तहत थाना कोटगेट, बीकानेर में दिनांक 03.01.2022 को दर्ज एफआईआर और जमीयत अहले हदीस (जेएएच), बीकानेर के अमीर मोहम्मद सादिक के खिलाफ हवाला कारोबार और धन शोधन गतिविधियों के बारे में प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर जाँच शुरू की। गैरकानूनी धर्मांतरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के बारे में भी जानकारी मिली थी। यह भी बताया गया कि उन पर एक आतंकवादी संगठन का समर्थक होने का संदेह है और उन्होंने धार्मिक और कट्टरपंथी उद्देश्यों का समर्थन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

तलाशी अभियान के दौरान, यह पाया गया कि मोहम्मद सादिक अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, जो मस्जिद-ए-आयशा ट्रस्ट के संचालन की भी देखरेख करता था। मोहम्मद सादिक को इन ट्रस्टों सहित विभिन्न खातों में भारी मात्रा में नकद जमा प्राप्त हुआ है और वह अपने द्वारा संचालित और नियंत्रित लगभग 20 बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये के बड़े वित्तीय लेनदेन में शामिल रहा है। इन जमा राशियों का स्रोत उसने स्पष्ट नहीं किया और यह संदिग्ध बना रहा। इसके अलावा, हालाँकि उसके पास कोई वैध और पर्याप्त व्यक्तिगत आय नहीं पाई गई, फिर भी उसने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश, ईरान, ओमान, नेपाल, कतर आदि देशों की कई विदेश यात्राएँ की थीं और इन देशों में लंबे समय तक रहा था। तलाशी के दौरान बांग्लादेश में एक गैर-सरकारी संगठन को उसके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित साक्ष्य बरामद हुए हैं। सहानुभूति बटोरने और अवैध गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी और भड़काऊ सामग्री, जिसमें इज़राइली झंडा जलाने के वीडियो भी शामिल हैं, प्रसारित करने में मोहम्मद सादिक की संलिप्तता से संबंधित डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए हैं।

तलाशी अभियान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और बयानों के समेकित संग्रह से विभिन्न गतिविधियों की प्रकृति और सीमा का पता चला है, जिनमें संदिग्ध माध्यमों से विदेशी धन संग्रह, हथियारों की तस्करी, भड़काऊ सामग्री का प्रसार, जबरन धर्म परिवर्तन और व्यक्तिगत एवं वैचारिक लाभ के लिए धार्मिक संस्थानों का दुरुपयोग शामिल है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरों को दर्शाता है।

आगे की जाँच जारी है।